रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2018/ज्येष्ठ 01, 1940
No. 330] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2018/ JYAISTHA 01, 1940

indiacode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2018

सा.का.नि. 472(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उप धारा (1), उप धारा (2), उप धारा (3), उप धारा (4), उप धारा (8), उप धारा (9), उप धारा (10) और उप धारा (11) और धारा 124 की उप धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) तीसरा संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये नियम तारीख 22 मई, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 6 के उप-नियम (13) में, "पंजाब नैशनल बैंक में रखे गए" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"और उसका ब्यौरा यथास्थिति, प्रेषण की तारीख से तीस दिन के भीतर या इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर, प्ररूप संख्या आईईपीएफ-7 में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।"

[फा. सं. 05/17/2017-आईईपीएफ]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 854(अ), तारीख 5 सितंबर, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017 और सा.का.नि. 1267(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

प्ररूप सं. आईईपीएफ- 7

[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 6(13) के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

निधि में अंतरित शेयरों के कारण विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा की गई राशि का विवरण

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1 – कृपया इस ई-प्ररूप को अपलोड करने पर आने वाली अभिस्वीकृति में यथा उल्लिखित 'विनिधानकर्ता वार ब्यौरे अपलोड करने की प्रक्रिया' का पालन करें।

टिप्पण 2 – कृपया ध्यान रखें कि यह प्ररूप एक वित्तीय वर्ष के लिए केवल एक बार ही भरा जाना है।

1. (क) *कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या(सीआईएन)/ _____ (पूर्व-भरा हुआ)

 (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जी एल एन) _____

2. (क) कंपनी का नाम _____

 (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता_____

 (ग) *कंपनी का ई-मेल आईडी _____

3. *अंतरिती बैंक का नाम _____

4. *बैंक संव्यवहार आईडी _____

5. *निधि में रकम के संदाय की तारीख _____

6. *निधि में जमा की गई रकम _____

7. *निधि के बैंक खाते में अंतरित रकम के ब्यौरे

क्र.सं.	विशिष्टियां	रकम (रुपए में)	वह तारीख जिस तक निधि में रकम जमा कराई जाए
(क)	आईईपीएफ में अंतरित शेयरों पर लाभांश		
(ख)	आईईपीएफ में अंतरित शेयरों के संबंध में कंपनियों को सूची से हटाने पर वसूल किए गए आगम		
(ग)	आईईपीएफ में अंतरित शेयरों के संबंध में कंपनियों के परिसमापन से वसूल किए गए आगम		
(घ)	अन्य		
	कुल		

8. *वित्तीय वर्ष जिससे रकम संबंधित है

IndiaCode

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1. *लाभांश/समापन आदेश/असूचीबद्ध करने के आदेश की घोषणा करने वाले संकल्प की प्रति **संलग्न करें** _____
2. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो **संलग्न करें** _____

संलग्नक हटाएं

घोषणा

मुझे, निदेशक मंडल के संकल्प संख्या *_____ तारीख *_____ (दिन/मास/वर्ष) द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु और इसके समनुषंगी विषयों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सभी जानकारी जिसमें इस प्ररूप के संलग्नक भी सम्मिलित हैं सत्य, सही और पूर्ण हैं और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

***अंकीय रूप से हस्ताक्षर किया जाए। (डीएससी बॉक्स)**

*पदनाम _____

*निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या _____

सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव

की सदस्यता संख्या;

टिप्पण : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) **(प्ररूप की जांच करें)** **(पूर्व संवीक्षा)** **(प्रस्तुत करें)**

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

(फाइलिंग ब्यौरे लगाए)

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) _____ ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का अंकीय हस्ताक्षर _____

यह ई-प्ररूप अनुमोदित किया जाता है **(प्रस्तुत करने की पुष्टि करें)**

यह ई-प्ररूप अस्वीकृत किया जाता है

हस्ताक्षर करने की तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष)

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2018

G.S.R. 472(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Third Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the 22nd May 2018.

2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 in rule 6 in sub-rule (13), after the words "maintained in the Punjab National Bank" the following shall be inserted, namely:-

"and the details thereof shall be furnished to the Authority in Form No. IEPF 7 within thirty days from the date of remittance or within thirty days from the date of enforcement of these Rules, as the case may be."

[F. No. 05/17/2017-IEPF]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 854 (E), dated the 5th September, 2016 and amended vide notification number G.S.R 178(E) dated 28th February, 2017 and G.S.R 1267 (E) dated 13th October, 2017.

IndiaCode

FORM NO. IEPF-7

[Pursuant to rule 6(13) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2017]

सत्यमेव जयते

Statement of amounts credited to IEPE on. Account of shares transferred to the fund

Form language o English o Hindi
Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

Note 2. Please take a note that this form has to be filed only for one Financial Year at a time.

1.(a)*Corporate identity number (CIN) of company Pre fill

(b) Global Location Number (GLN) of company

2. (a) Name of the company

(b) Address of registered office of the company

(c) *email id of the company

3. *Name of Transfree Bank

4. *Bank Transaction ID

5. *Date of payment of amount to the fund

6. *Amount credited to the fund

7. *Details of the amount transferred to bank account of the fund

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)	Date by which amount should have been credited to the fund
(a)	Dividend on shares transferred to IEPF		
(b)	Proceeds realized on delisting of companies with respect to shares transferred to IEPF		
(c)	Proceeds realized on winding up of companies with respect to shares transferred to IEPF		
(d)	Others		
	Total		

8. *Financial Year to which the amount relates

Attachments

List of attachments

1.*Copy of Resolution declaring dividend/winding up order/delisting order Attach

2. Optional attachments, if any. Attach

Remove attachment

IndiaCode

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* [] Dated * (DD/MM/YYYY) [] to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by DSC Box

*Designation []

*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary. []

Note:Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only :

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) [] eForm filing date [] (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby approved []

This e-Form is hereby rejected [] Confirm Submission

Date of signing [] (DD/MM/YYYY)

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.24 14:14:41 +05'30'